

गुणावगुण पर निगरानीकर्ता की ओर से उपस्थित श्री मांगीलाल, सहायक विकास अधिकारी की एक तरफा बहस सुनी गई। श्री मांगीलाल, सहायक विकास अधिकारी ने निगरानी मीमां के तथ्यों को दौहराया एवं अतिरिक्त कथन किया कि ग्राम पंचायत वीरमाना द्वारा खाली भूखण्ड का जैर निगरानी पट्टा पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत जारी कर दिया जबकि नियमानुसार पचास वर्ष से अधिक पुराने घरों का ही पट्टा जारी किया जा सकता है। ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार खुली निलामी राशि जमा ना करवाकर ग्राम पंचायत को राजस्व की हानि भी की है। उक्त पट्टा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपना कर जारी नहीं किया गया है तथा उक्त पट्टा पंजीबद्ध भी नहीं करवाया गया है। अतः जैर निगरानी पट्टा खारिज किया जावे।

हमने निगरानीकर्ता की बहस पर चिंतन मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 अनुसार "जहां व्यक्तियों के कब्जे में आवादी भूमि में पुराने गृह हों और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी करवाना चाहते हो तो राशि जमा करवाकर पट्टा जारी किया जा सकेगा" उक्त नियम में 50 वर्ष से अधिक पूर्व से निर्मित मकानों के लिए 100/- राशि निर्धारित की गई है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 तथा ग्राम पंचायत द्वारा नियम 157 (1) के तहत जारी किये गये आवासीय भूमि के पट्टे की शर्त संख्या 01 अनुसार उक्त पट्टा पुराने घर पर कब्जा होने की स्थिति में या संनिर्मित किये जाने की स्थिति में जारी किया जा सकता है। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत की पत्रावली की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने से पाया कि ग्राम पंचायत द्वारा गैर निगरानीकर्ता संख्या 03 को प्लॉट/भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में ही, समस्त कार्यवाही कर उक्त प्लॉट/भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है। उक्त प्लॉट पर गैरनिगरानीकर्ता संख्या 03 का मकान होने संबंधी कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। हस्तगत निगरानी पत्रावली में भी गैरनिगरानीकर्ता संख्या 01 का विवादित प्लॉट पर मकान बना होने संबंधी कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अतः जैर निगरानी पट्टा विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है एवं ग्राम पंचायत वीरमाना का पट्टा संख्या 41 दिनांक 22.05.2017 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सूरतगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत वीरमाना को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)